निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक) Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)

www.dicgc.org.in

DICGC.CSD/ 600 /05.01.01/2011-12 April 27, 2012

Registrar of Co-operative Societies (RCS)
All States

Dear Sir,

Refund of Undisbursed Amount by Liquidators - Reduction in Time Limit

In terms of Section 17(1) of the DICGC Act, 1961, where an insured bank has been taken into liquidation and the liquidator has submitted a claim list to DICGC, the Corporation has been paying the amount payable to each depositor to the liquidator under Section 17(2)(c) of the Act, *ibid*, subject to the condition that amount remaining undisbursed after **six months** from the date of release of claim amount should be refunded to the Corporation within fifteen days along with the list of untraceable depositors to whom it pertains.

2. However, it is observed that many of the liquidators have not been refunding the undisbursed amount to the Corporation beyond the prescribed period and in turn, using the funds for investment and appropriation of interest thereon. This has not only been preventing recycling of funds by the Corporation, but also impacting its expeditious disbursement of claims of depositors of other banks under liquidation. The liquidators are also not reporting the undisbursed amount to the Corporation through quarterly statements.

3. The matter has been reviewed by us and it has been decided that with effect from **June 1, 2012**, liquidators shall refund the undisbursed amount to the Corporation within fifteen days after **four months** from the date of release of the claim amount along with the list of untraceable depositors to whom the undisbursed amount pertains.

4. We request you to advise all the liquidators functioning under your jurisdiction to adhere strictly to the reduced time limit for refunding the undisbursed amount to the Corporation.

Please acknowledge receipt.

Yours faithfully,

(M.K.Samantaray)
General Manager

प्रधान कार्यालय : भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, पोस्ट बॉक्स सं.4571 मुंबई सेंट्रल, मुंबई- 400 008
टेलिफोन: 022-2306 2160-64, 23014655,23011991, 23084121 फैक्स: 022-23018165,23015662,23021131, ई-मेल : dicgc@rbi.org.in
HEAD OFFICE : Reserve Bank of India Building, Second Floor, Opp. Mumbai CentralRailway Station, Post Box No.4571 Mumbai Central, Mumbai-400 008
Tel: 022-2306 2160-64, 23014655,23011991, 23084121 Fax: 022-23018165,23015662,23021131, mail: dicgc@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)

www.dicgc.org.in

निबीप्रगानि.दानिवि/ 600/05.01.01/2012-13 27 अप्रैल 2012

सहकारी समितियों के पंजीयक(आरसीएस)
सभी राज्य

महोदय/महोदया

परिसमापकों द्वारा अवितरित राशि की वापसी – समय सीमा में कटौती

निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के अनुसार जब किसी बीमाकृत बैंक का परिसमापन हो जाता है और परिसमापक निबीप्रगानि को एक दावा सूची प्रस्तुत करता है तो अधिनियम की धारा 17(2)(सी) के अंतर्गत निगम प्रत्येक जमाकर्ता को देय राशि परिसमापक को इस शर्त के अधीन अदा करता रहा है कि उक्त दावा राशि जारी किए जाने की तिथि से छह माह के बाद की अवितरित राशि पंद्रह दिनों के भीतर पता न लगाए जा सकने योग्य(अनट्रेसेबल) ऐसे जमाकर्ताओं, जिनसे यह राशि संबंधित है, की सूची के साथ निगम को वापस कर दी जानी चाहिए।

2. तथापि यह देखा गया है कि कई परिसमापक निधारित समय के बाद वाली अवितरित राशि निगम को वापस नहीं करते हैं और इसके बाद इस निधि का प्रयोग निवेश करने के लिए करके इस पर अर्जित ब्याज को अलग करके अपने पास रख लेते हैं। इससे न केवल निगम द्वारा निधियों को पुन:चक्रित(रीसाइकिल) करने में बाधा आती है बल्कि परिसमापनाधीन अन्य बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों का त्वरित वितरण भी प्रभावित होता है। अपने तिमाही विवरणपत्र(स्टेटमेंट) के माध्यम् से भी परिसमापक अवितरित राशि की सूचना निगम को नहीं प्रेषित करते हैं।

3. हमारे द्वारा इस मामले की समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि 1 जून 2012 से परिसमापक दावा राशि जारी करने के चार माह के उपरांत अवितरित राशि पंद्रह दिन के भीतर पता न लगाए जा सकने वाले(अनट्रेसेबल) ऐसे जमाकर्ताओं, जिनसे यह राशि संबंधित है, की सूची के साथ निगम को वापस करेंगे।

4. अनुरोध है कि आप अपने अधिकारक्षेत्र के अंतर्गत कार्य कर रहे परिसमापकों को सूचित करें कि वे अवितरित राशि निगम को वापस करने के लिए घटाई गई समय सीमा का कड़ाई से पालन करें।

कृपया प्राप्ति सूचना भेजें।

भवदीय

एम. के. सामंतरे

(एम.के.सामंतरे)
महाप्रबंधक

प्रधान कार्यालय : भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, पोस्ट बॉक्स सं.4571 मुंबई सेंट्रल, मुंबई- 400 008
टेलिफोन: 022-2306 2160-64, 23014655,23011991, 23084121 फैक्स: 022-23018165,23015662,23021131, ई-मेल : dicgc@rbi.org.in
HEAD OFFICE : Reserve Bank of India Building, Second Floor, Opp. Mumbai CentralRailway Station, Post Box No.4571 Mumbai Central, Mumbai-400 008
Tel: 022-2306 2160-64, 23014655,23011991, 23084121 Fax: 022-23018165,23015662,23021131, mail: dicgc@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए।